

20.7.04

प्राति: पुलिस कमिश्नर  
मुंबई

विषय: उर्दू टाइम्स के कारण जान को खतरा

श्रीमान महोदय,

मैं साजिद रशीद महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी का पिछले चार वर्षों से कार्यध्यक्ष हूँ. उर्दू अकादमी की ओर से 12 और 13 जून को उर्दू के प्रधान दिवंगत लेखक कृश्न चंद्र की 27 वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक साहित्यिक सेमिनार मुंबई के अफकर पीर गार्ड टाल में आयोजित किया गया था जिस में उर्दू के लेखक शरीफ दुर थे जिन में से पचास लेखक पूरे देश से आए थे. इनाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू के प्राध्यापक डॉ. अली अहमद जातमी ने कृश्न चंद्र की कथातियों पर पेपर पढ़ते हुए कहा कि 'कृश्न चंद्र पर गरीबों और मजदूरों के पक्ष में प्रोपेगंडा करने का आरोप लगाया जाता है. प्रोपेगंडा कोई बुरी चीज़ नहीं है दुनिया का हर फलसफा एक प्रोपेगंडा है तभी तभी किताबें प्रोपेगंडा हैं कुरान भी अपने तज़रिये का प्रोपेगंडा करता है.' डॉ. जातमी को लेखिका डॉ. रफिया शबनम आबदी ने बीच में टोक दिया कि वह अपने शब्द वापदले तब कार्यध्यक्ष की हैसियत से मैंने उठ कर उन से कहा कि 'वह डॉ. जातमी को अपनी बात पूरी करने दें, सब को अपनी बात रखने का पूरा हक है आप का यह व्यवहार बजरंगदली बज़र आता है.' इसके बाद डॉ. जातमी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रोपेगंडा शब्द तकारात्मक ढंग से नहीं इस्तेमाल किया है बल्कि अंग्रेजी शब्द प्रोपेगेशन से यह शब्द लिया है जिसका अर्थ तबलीग (प्रचार प्रसार) होता है. डॉ. जातमी ने यह भी कहा कि अगर आप में मेरी बात बुरी लगी

① PPK  
20/7/04

हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ. फातमी के इस स्पष्टिकरण के बाद डॉ. आबदी ने भी संतुष्टि ज़ाहिर की और यह बहस वहीं पर खत्म हो गई. (इस घटना पर डॉ. फातमी ने मुझे आप के नाम जो पत्र फेक्स से भेजा है वह संलग्न है. इस के अतिरिक्त 'प्रशास्त्र उर्दू राइटर्स गिल्ड' ने भी जो पत्र लिखा है वह भी संलग्न है राइटर्स गिल्ड के लेखक 12 और 13 जून को सेमिनार में मौजूद थे.)

12 जून की घटना के ठीक एक घंटे बाद 'उर्दू टाइम्स' ने फ्रंट पेज पर मेरे और डॉ. फातमी द्वारा 'कुरआन का अपमान' करने वाली खबर मुसलमानों को ललकारते हुए प्रकाशित की है कि वे कुरआन के अपमान पर चुप क्यों हैं! तब से 'उर्दू टाइम्स' मेरे खिलाफ़ मुसलमानों को उत्तेजित करने की कोशिश में लगा हुआ है. मुझे 'इसलाम का दुश्मन' बार बार लिख कर मेरी जान और माल और सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है. आप को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि कुरआन का अपमान करने वाले ~~को~~ की सजा मौत है और कत्ल करने वाले का इनाम स्वर्ग है! (उर्दू टाइम्स की किलीपिंग संलग्न है)

मैं यह बताना भी जरूरी समझता हूँ कि उर्दू टाइम्स मेरे खिलाफ़ नफरत फैलाने की मुहिम इस लिए भी चला रहा है कि मैं 'मुस्लिमस फ़ोर सेक्युलर डेमोक्रेसी' का उपाध्यक्ष हूँ. जावेद अख़तर साहब उस के अध्यक्ष हैं हमारा संगठन धर्मांधता सांप्रदायिकता और 'तीन तलाक़' के कानून का विरोध करता है. 2 अक्टोबर 2003 में हमारा यह संगठन कायम हुआ है, तब से 'उर्दू टाइम्स' हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारियों

को इस्लाम का शत्रु और नास्तिक लिख रहा है. जावेद अखतर साहब के खिलाफ अश्लील लेख और बयान छापे जा रहे हैं. जावेद अखतर साहब के खिलाफ घृणित प्रचार की एक खबर मराठी और हिंदी 'महानगर' में 13 जुलाई को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हुई थी. उसके बाद से उर्दू टाइम्स ने मुझे भी विज्ञाना बना लिया है क्यों कि मेरी दो हैसियत हैं एक तो महाराष्ट्र के उर्दू अकादमी के कार्याध्यक्ष को तो दूसरी दैनिक 'महानगर' (हिंदी) के संपादक की. यहां यह बताना भी आवश्यक हो जाता है कि 'उर्दू अकादमी' का मैं जब से कार्याध्यक्ष बनाया गया हूं 'उर्दू टाइम्स' मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा है. इस अखबार के मालिक सईद अहमद ने कई बार तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विलास राव देशमुख से मिल कर मुझे उर्दू अकादमी से हटाने का कोशिश की है. यह एक सांप्रदायिक मानसिकता का व्यक्ति है इसके अखबार का चरित्र भी वैसा ही है. इसकी अपनी अपराधिक गतिविधियां हैं जिनके चलते मैं ने स्वयं 'उर्दू टाइम्स' की नौकरी छोड़ी थी. अगर मुझे सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो मैं सईद अहमद को उन गतिविधियों की जानकारी भी दे सकता हूं.

मैं आप को जानकारी में फिर यह बात लाना चाहता हूं कि 'उर्दू टाइम्स' और सईद अहमद के कारण मेरी जान अब सुरक्षित नहीं है. अगर संदिग्ध परिस्थितियों में मेरी मौत हो या मुझ पर कोई आक्राण हो या मेरे साथ कोई दुश्मनी हो तो उस के लिए उर्दू टाइम्स और सईद अहमद ही जिम्मेदार होंगे. आशा है आप तथ्यों को जांच कर के कार्रवाई करेंगे

आमारी / साजिद शरीर.  
20.7.04 (संपादक)

Enclosed

- 1- उर्दू अकादमी का पत्र
- 2- उर्दू टाइम्स के तीन लेख
- 3- 'महानगर' की कॉपी